

उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक
जगाधरी वर्कशाप

संख्या 974-E/Welfare/Covid-19/ज0व0

दिनांक 22.04.2021

सभी अधिकारीगण,
सहा० निर्माण प्रबंधक /कालका
जगाधरी - कालका वर्कशाप।

विषय:- भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में कोरोना वायरस Covid-19 को फैलने से रोकने के विषय में दिशा निर्देश।


सन्दर्भ:- i. DOPT F.NO. 11013/9/2014-Estt.A-III dated 19-04-2021

ii. Rly.Bd. L.No. 2021/O&M/9/1 dated 20.04.2021 !

iii. Hd.Qrs. Office/NDLS L.No. DGMG/Covid-19/2021 dated 21.4.2021 !

इस कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 19-04-2021 के समसख्यक पत्र के निरंतर में DOPT, रेलवे बोर्ड एवं प्रधान कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने से छूट दी जा सकती है परन्तु ऐसे कर्मचारी घर से ही काम (Work from Home) करना जारी रखेंगे।

उपरोक्त के अनुपालन में कार्यालय का कार्य बाधित ना हो इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यह व्यवस्था दिनांक 30.04.2021 अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेंगे।


(हरीश कुमार) 22/4/21

कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक
उ० रे०, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव एनआरएमयू (यांत्रिक एवं विद्युत शाखा, स्टेर) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
2. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा, स्टेर) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
3. सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन, स्टेर) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
4. सभी वरि० खण्ड अभियन्ता एवं मुख्य कार्यालय अधीक्षक - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।